कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक : 501 /दो–2–1/2012–22 रतलाम, दिनांक 27.07.2022

संशोधित कार्य विभाजन पत्रक

मैं राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं दण्ड प्रकिया संहित 1973 की धारा 10(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासकीय कार्यसुविधा की दृष्टि से पूर्व में जारी कार्यविभाजन पत्रक आदेश कमांक 1229/दो–2–1/2012–2021 रतलाम, दिनांक 28.12.2021 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ:–

1 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 1229/दो–2–1/2012–2021 रतलाम, दिनांक 28.12.2021 के पृष्ठ कमांक–14 पर स्थित अनुकमांक 18 एवं 19 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार पुनः स्थापित किया जाता है।

18	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम	तहसील सैलाना /बाजना	1 रूपये 5,00,001/– से रूपये 1,00,00,000/– (रू पॉच लाख एक से एक करोड़ रू.) तक के साम्पत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।(दिनांक 27.07.2022 से प्रभावशील होगा) 2 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग–10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 3 500/– (पॉच सौ) तक के लघुवाद जिनकी सुनवाई हेतु सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत अधिकृत। 4 बाह्य न्यायालयों से प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सैलाना के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण। 5 जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
19	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, रतलाम	तहसील रतलाम	1 रूपये 05,00,001 से 35,00,000 (पांच लाख एक से पैतीस लाख) तक के सांपत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2 जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

2 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 1229/दो–2–1/2012–2021 रतलाम, दिनांक 28.12.2021 के पृष्ठ कमांक–26 एवं 27 पर अंकित नोट कमांक 23 सी को विलोपित करते हुए 23सी निम्नानुसार पुनः स्थापित किया जाता है।

23सी. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सैलाना के रिक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने

वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु आज दिनांक 27.07.2022 से चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के द्वारा की जावेगी।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

नोट :— उक्त आदेश आज दिनांक 27.07.2022 से प्रभावशील होगा। पूर्व में विचाराधीन व्यवहार न्यायायधीश वरिष्ठ खंड सैलाना के प्रकरण पूर्ववत अधिकृत न्यायालय में ही विचाराधीन रहेगा।

(राजेश कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक : 2384/एस.डब्ल्यू/22 रतलाम, दिनांक 27.07.2022

<u>प्रतिलिपि</u> :—

1. चतुर्थ/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम
2. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना।
2. अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ रतलाम/सैलाना

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/7/2022
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम (म.प्र.)